29

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

उनतीसवां प्रतिवेदन

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्‌वारा की-गई-कार्रवाई

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023/ चैत्र, 1945 (शक)

29

<u>अधीनस्थ विधान संबंधी समिति</u>

(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

उनतीसवां प्रतिवेदन

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई

(24.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2023/ चैत्र, 1945 (शक)

<u>सीओएसएल सं.</u> <u>121</u> **<u>खंड</u>**<u>-II</u>

मूल्य: रू.

(C) 2023 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (चौदहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

<u>विषय सूची</u>

पृष्ठ सं.

1.	समिति की संरचना..	(ii)
2.	प्राक्कथन..	(iii)
3.	प्रतिवेदन..	1-4

<u>अनुबंध</u>

I.	बीमा प्रतिभूति अपील) अधिकरण से अपील करना(नियम 2016] .2016 ,का सा[(अ) 179 .नि.का.	5
II.	वाणिज्यिक पोत परिवहन 2016] 2016 ,नियम (नाविकों की भर्ती तथा नियुक्ति) का सा[169 .नि.का.	6

<u>परिशिष्ट</u>

I.	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण	7-8
II.	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण	9-10
III.	समिति (सत्रहवीं लोक सभा) की 23.03.2023 को हुई बारहवीं बैठक (2022-2023) की कार्यवाही सारांश का सार।	11
IV.	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण	12

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की संरचना
(2021-2022)

श्री बालाशौरी वल्लभनेनी — सभापति

सदस्य

2. श्री बी. मणिक्कम टैगोर
3. श्री पिनाकी मिश्रा
4. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे
5. श्री चंदेश्वर प्रसाद
6. श्री एन.के. प्रेमचंद्रन
7. श्री सुरेश पुजारी
8. श्री ए. राजा
9. श्री नामा नागेश्वर राव
10. श्री संजय सेठ
11. डॉ. अमर सिंह
12. श्री बृजेन्द्र सिंह
13. श्री सु. थिरुनवुक्करासर
14. श्री राम कृपाल यादव
15. श्री अरविन्द गणपत सावंत

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री मुरलीधरन पी.	-	निदेशक
3.	श्रीमती जागृति तेवतिया	-	अपर निदेशक
4.	श्री एस. लाल एन्जौ नागाइहते	-	अवर सचिव

<u>प्राक्कथन</u>

मै, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर यह उनत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति का यह प्रतिवेदन उसके तीसरे प्रतिवेदन (2019-2020) (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई से संबंधित है जिसे 16.03.2020 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था।

3. समिति ने 23.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों का सार और उन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई उत्तर इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट-एक और दो में पुन: उद्धृत किये गये है।

5. इस प्रतिवेदन से संबंधित समिति की बारहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश प्रतिवेदन के परिशिष्ट-तीन में दिए गए हैं।

6. समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण प्रतिवेदन के परिशिष्ट-चार में दिया गया है।

नई दिल्ली;
<u>23 मार्च, 2023</u>
02 चैत्र, 1944 (शक)

बालाशौरी वल्लभनेनी
सभापति,
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

<u>प्रतिवेदन</u>

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (2022-2023) का यह प्रतिवेदन समिति के तीसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में है, जिसे 16.03.2020 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। तीसरे प्रतिवेदन में निम्न नियमों में त्रुटियों पर विचार किया गया था:-

(एक) बीमा (प्रतिभूति अपील अधिकरण से अपील करना) नियम, 2016. [2016 का सा.का.नि. 179 (अ)]

और

(दो) वाणिज्यिक पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती तथा नियुक्ति) नियम, 2016 [2016 का सा.का.नि. 169]

2. उपरोक्त नियमों में पाई गई कमियां और इन कमियों के संबंध में समिति द्वारा की गई टिप्पणियों/सिफारिशों को तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) के भाग एक के पैरा 1.4 और भाग दो के पैरा 2.4, 2.6 और 2.9 में शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात्, प्रतिवेदन का भाग एक उसमें अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएँ विभाग) और भाग दो, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को उसमें अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन को अग्रेषित किया गया था। वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएँ विभाग) ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं. एच-12018/1/2015-इन्स. दो दिनांक 24 जून, 2021 द्वारा और पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं. एसआर-20020/3/2020-एमएल(सीएन:342969) दिनांक14 जुलाई, 2022 द्वारा प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर अपने की गई कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत कर दिए थे।

3. प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के उत्तरों को मुख्यतः निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया गया है: -

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

क्र. सं. 1.4, 1.5, ,2.4 2.6 और 2.9 कुल: पांच

(ii) टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

क्रम सं. शून्य कुल : शून्य

(iii) टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं

क्रम सं. शून्य कुल : शून्य

(iv) टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

क्रम सं. शून्य कुल : शून्य

4. समिति द्वारा अपने तीसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई मुख्य टिप्पणियों/सिफारिशों और उन पर वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएँ विभाग)तथा पोतपरिवहन और , जलमार्ग मंत्रालय द्वारा की–गई- कार्रवाई संक्षेप में निम्नानुसार है:-

(एक) <u>बीमा (प्रतिभूति अपील अधिकरण से अपील करना) नियम, 2016 के नियम 5(3) के अंतर्गत अपील के ज्ञापन में त्रुटि के बारे में अपीलकर्ता को सूचित किए जाने की रीति और समय अवधि जिसके भीतर अपीलकर्ता द्वारा इसमें सुधार किया जा सकता है, के संबंध में कमी:</u>

समिति ने नोट किया था कि अपील डाक से भेजे जाने और इसमें त्रुटि पाए जाने पर नियमावली में यह स्पष्ट नहीं है कि पंजीयक किस प्रकार से अपीलकर्ता को त्रुटि की जानकारी देगा और साथ ही अपीलकर्ता द्वारा अपील के ज्ञापन में सुधार करने के लिए कोई न्यूनतम समय अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप यह पूर्णतः पंजीयक के विवेकाधिकार पर निर्भर है। अतः समिति ने सिफारिश की थी कि 'नियमावली में विशेष उपबंध शामिल किए जाएं जिनमें डाक से अपील भेजे जाने के मामलों के संबंध में अपीलकर्ता को अपील ज्ञापन में त्रुटि की जानकारी देने का तरीका विनिर्दिष्ट किया जाए और नियमों में कुछ तार्किक समय-सीमा विहित की जाए जिसके भीतर अपीलकर्ता अपने अपील ज्ञापन में त्रुटि को दूर कर सके।' [समिति के तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के पैरा 1.4 और 1.5]

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएँ विभाग) ने समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और दिनांक 24 जून, 2021 के की-गई-कार्रवाई उत्तर द्वारा 'बीमा (प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण से अपील करना) संशोधन नियम, 2021 दिनांक 15.04.2021 [2021 का सा.का.नि. 262 (अ)]' के रूप में यथा अधिसूचित 'बीमा (प्रतिभूति अपील अधिकरण से अपील करना) नियम, 2016 [2016 का सा.का.नि. 179 (अ)]' के नियम 5(3) में किए गए संशोधन की एक प्रति अग्रेषित की।

(दो) <u>वाणिज्यिक पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती तथा नियुक्ति) नियम, 2016 के नियम 9(3) के अंतर्गत लाइसेंस/लाइसेंस नवीनीकरण हेतु समय-सीमा का अभाव तथा नियम 19 के अंतर्गत अस्पष्ट अभिव्यक्ति के प्रयोग के संबंध में कमियां</u>

समिति ने नोट किया था कि वाणिज्यिक पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती तथा नियुक्ति) नियमावली, 2016 के नियम 9(3) में आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् लाइसेंस/लाइसेंस नवीनीकरण हेतु समय-सीमा का प्रावधान नहीं है जिससे लाइसेंस/लाइसेंस नवीनीकरण जारी करने के सन्दर्भ में विवेकपूर्ण अधिकारों के मनमाना ढंग से प्रयोग और आवेदकों को परेशानी और असुविधा बढ़ेगी। अतः, समिति ने मंत्रालय से नियमावली में आवश्यक संशोधन लाने की सिफारिश की थी। [समिति के तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) का पैरा 2.4]

समिति ने नोट किया था कि उपरोक्त नियमावली के नियम 19 के उप-नियम (3) के अंतर्गत 'तर्कसंगत समय के भीतर' शब्दों का उल्लेख किया गया है और कोई समय सीमा विहित नहीं की गई है जिसके भीतर महानिदेशक किसी अपील पर आदेश पारित करेगा। 'तर्कसंगत समय के भीतर' शब्दों का प्रयोग समिति को अस्पष्ट प्रतीत हुआ, जिनकी अलग-अलग लोगों द्वारा अलग-अलग व्याख्या की जा सकती है। समिति का मत था कि अपीलों के निपटान हेतु एक निश्चित समय सीमा का होना नियमावली को और अधिक उद्देश्यपरक और प्रभावी बनाएगा। अतः समिति ने मंत्रालय से सिफारिश की थी कि नियमावली में आवश्यक संशोधन किए जायें और आदेश पारित करने के लिए एक निश्चित समय सीमा विहित की जाए। [समिति के तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) का पैरा 2. 9]

पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 14 जुलाई, 2022 के अपने की गई कार्रवाई उत्तर में सूचित किया कि समिति के तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) के पैरा 2.4 और 2.9 में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर 'वाणिज्यिक पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती तथा नियुक्ति) नियम, 2016' को संशोधित करते हुए एक अधिसूचना 'वाणिज्यिक पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती तथा नियुक्ति) संशोधन नियम, 2022 दिनांक 26.04.2022 [2022 का सा.का.नि. 319 (अ)]' अधिसूचित की गई है।

5. अतः, समिति यह नोट करती है कि वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएँ विभाग) और पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने समिति द्वारा इंगित की गई कमियों को स्वीकार कर लिया है और उनको संशोधित कर दिया है। वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएँ विभाग) द्वारा नियमों में आवश्यक संशोधन 'बीमा (प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण से अपील करना) संशोधन नियम,

2021 दिनांक 15.04.2021 [2021 का सा.का.नि. 262 (अ)]' (अनुबंध एक) तथा पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा नियमों में आवश्यक संशोधन 'वाणिज्यिक पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती तथा नियुक्ति) संशोधन नियम, 2022 दिनांक 26.04.2022 [2022 का सा.का.नि. 319 (अ)]'(अनुबंध दो) के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं।

6. समिति द्वारा की गई टिप्पणियों/सिफारिशों और संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त हुए की गई कार्रवाई उत्तरों को उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन के भाग दो में पुन: प्रस्तुत किया गया है।

नई दिल्ली;
23 मार्च, 2023
02 चैत्र, 1944 (शक)

बालाशौरी वल्लभनेनी
सभापति,
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

अनुबंध-I

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042021-226629
CG-DL-E-15042021-226629

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 15, 2021/चैत्र 25, 1943
No. 211] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 15, 2021/CHAITRA 25, 1943

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 262(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 110 उपधारा (2) और (6) के साथ पठित धारा 114 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (1ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीमा (प्रतिभूति अपील अधिकरण में अपील करना) नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बीमा (प्रतिभूति अपील अधिकरण में अपील करना) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बीमा (प्रतिभूति अपील अधिकरण में अपील करना) नियम, 2016 में नियम 5 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(3) यदि, संवीक्षा पर, रजिस्ट्रार अपील को त्रुटिपूर्ण पाता है, जहां –

(क) अपीलार्थी ऐसी अपील वैयक्तिक रूप से प्रस्तुत करता है और त्रुटि औपचारिक प्रकृति की है, तब रजिस्ट्रार इसको अपनी उपस्थिति में अपीलार्थी द्वारा परिशोधन की अनुमति दे सकेगा;

(ख) यदि त्रुटि खंड (क) में निर्देशित से अन्यथा है तब यह अपीलार्थी को रजिस्ट्रीकृत डाक या इलेक्ट्रानिक मेल द्वारा सूचना देगा, रजिस्ट्रार द्वारा दी गई ऐसी सूचना की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर त्रुटि को दूर करना होगा।"

[फा. सं. 12018/01/2015-बीमा-II]

सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 179(अ), तारीख 17 फरवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042022-235391
CG-DL-E-27042022-235391

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305]	नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2022/वैशाख 7, 1944
No. 305]	NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2022/VAISAKHA 7, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 319(अ).—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 95 की उपधारा (3) और धारा 457 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य पोत परिवहन (सीफेयर की भर्ती और स्थानन) नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**

   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (सीफेयर की भर्ती स्थानन) संशोधन नियम, 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन को तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वाणिज्य पोत परिवहन (सीफेयर की भर्ती और स्थानन) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 के, उपनियम (3) में "अनुज्ञप्ति" शब्द के पश्चात "पंद्रह दिन के भीतर" शब्द अंत:स्थापित किये जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 19 के उपनियम (3) में, "यथा संभव युक्तियुक्त अवधि के भीतर" शब्दों के स्थान पर "साठ दिन की अवधि के भीतर" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. एस आर – 20020/3/2020-एम एल (सी. सं. 342969)]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 16 फरवरी, 2016 में संख्यांक सा.का.नि. 169 (अ), तारीख 15 फरवरी, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

<u>भाग दो</u>

<u>परिशिष्ट एक</u>

<u>**(प्रतिवेदन के भाग एक का पैरा 2 देखें)**</u>

<u>समिति के तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय(वित्तीय सेवाएँ विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण</u>

बीमा (प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण से अपील), नियमावली 2016 [वर्ष 2016 का साकानि 179(अ)]

समिति नोट करती है कि बीमा (प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण से अपील) नियमावली, 2016 का नियम 5(3) अन्य बातों के साथ-साथ उपबंध करता है कि यदि किसी जांच के संबंध में की गयी अपील त्रुटिपूर्ण पाई जाती है और यह त्रुटि औपचारिक प्रकृति की है, तो पंजीयक अपीलकर्ता को अपनी उपस्थिति में सुधार करने की अनुमति प्रदान कर सकता है और यदि उक्त त्रुटि औपचारिक प्रकृति की नहीं है तो पंजीयक अपीलकर्ता को उसे संशोधित करने के लिए ऐसे समय की अनुमति प्रदान कर सकता है जैसा वह उपयुक्त समझे। उन मामलों में जहां पर ऐसी अपील डाक द्वारा प्रेषित की गयी है और त्रुटिपूर्ण पायी गयी है, पंजीयक अपीलकर्ता को त्रुटि के विषय में सूचना दे सकता है एवं अपीलकर्ता को ऐसे समय की अनुमति प्रदान कर सकता है, जैसा वह उपयुक्त समझे। समिति आगे नोट करती है कि नियमावली का नियम 5(4) उपबंध करता है कि यदि अपीलकर्ता उप-नियम (3) में अनुमत समय के भीतर त्रुटि में सुधार करने में असफल रहता है तो पंजीयक आदेश द्वारा, और लिखित में दर्ज किए गए कारणों से ऐसे अपीलीय ज्ञापन को दर्ज करने से मना कर सकता है और उसके सात दिनों के अंदर अपीलकर्ता को आदेश की सूचना दे सकता है। साथ ही, नियमावली में अपीलकर्ता की त्रुटियों को दूर करने के लिए कोई न्यूनतम समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है और उसे पंजीयक के निर्णय पर छोड़ा गया है। मंत्रालय की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए कि त्रुटियों को दूर करने के लिए किसी विशिष्ट समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है और इसे पंजीयक के निर्णय पर छोड़ दिया गया है समिति महसूस करती है कि विवेक के उपयोग से अधिकारों का मनमाना इस्तेमाल हो सकता है जिसके परिणास्वरूप इसका दुरूपयोग हो सकता है। अतः समिति सिफारिश करती है कि नियमावली में ही थोड़ी तार्किक समय-सीमा विहित की जाए जिसके भीतर अपीलकर्ता अपने ज्ञापन में त्रुटि को दूर कर सके।

[तीसरा प्रतिवेदन, 17वीं लोक सभा के भाग एक का पैरा 1.4]

समिति यह भी नोट करती है कि जहां अपील डाक से भेजी जाती है और इसमें त्रुटि पाई जाती है, तो नियमावली में यह विनिर्दिष्ट नहीं है कि पंजीयक अपीलकर्ता को त्रुटि की सूचना किस प्रकार देगा। समिति पाती है कि नियमावली में सूचना देने की विधि विनिर्दिष्ट नहीं किया जाना एक कमी है। इस प्रकार की कमी से अपीलकर्ता के अधिकार का हनन हो सकता है और यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। अतः, समिति सिफारिश करती है कि इस संबंध में नियमावली में विशेष उपबंध शामिल किए जाएं जिनमें डाक से अपील भेजे जाने के मामलों के संबंध में अपीकर्ता को अपील ज्ञापन में त्रुटि की जानकारी देने का तरीका विनिर्दिष्ट किया जाए। समिति की इच्छा है कि मंत्रालय तद्नुसार नियम में संशोधन करे और इस संबंध में की गई कार्रवाई से समिति को अवगत कराए।

[तीसरा प्रतिवेदन, 17वीं लोक सभा के भाग एक का पैरा 1.5]

<u>सरकार का उत्तर</u>

समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर वित्तीय सेवाएँ विभाग का की गई कार्रवाई प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

<u>अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई प्रतिवेदन</u>

<table>
<tr><th>सिफारिश क्रम सं. और सार</th><th>सन्दर्भ</th><th>वर्तमान नियम 5(3)</th><th>संशोधित नियम 5(3)</th></tr>
<tr><td><u>सिफारिश पैरा 1.4</u>:
नियमों में ही कुछ उचित समय सीमा विहित की जानी चाहिए जिसके भीतर अपीलकर्ता अपने अपील के ज्ञापन में त्रुटि को सुधार सके।</td><td>'बीमा (प्रतिभूति अपील अधिकरण से अपील करना) नियम, 2016</td><td rowspan="2">"यदि संवीक्षा करने पर अपील त्रुटिपूर्ण पाई जाती है और यह त्रुटि औपचारिक प्रकृति की है, तो पंजीयक अपीलकर्ता को अपनी उपस्थिति में सुधार करने की अनुमति प्रदान कर सकता है और यदि उक्त त्रुटि औपचारिक प्रकृति की नहीं है तो पंजीयक अपीलकर्ता को उसे संशोधित करने के लिए ऐसे समय की अनुमति प्रदान कर सकता है जैसा वह उपयुक्त समझे और जहाँ पर ऐसी अपील डाक द्वारा प्रेषित गई है और त्रुटिपूर्ण पाई गई है, पंजीयक अपीलकर्ता को त्रुटि के विषय में सूचना दे सकता है एवं अपीलकर्ता को ऐसे समय की अनुमति प्रदान कर सकता है जैसा वह उपयुक्त समझे।"</td><td rowspan="2">"(3) यदि, संवीक्षा पर, रजिस्ट्रार अपील को त्रुटिपूर्ण पाता है, जहां -
(क) अपीलार्थी ऐसी अपील वैयक्तिक रूप से प्रस्तुत करता है और त्रुटि औपचारिक प्रकृति की है, तब रजिस्ट्रार इसको अपनी उपस्थिति में अपीलार्थी द्वारा परिशोधन की अनुमति दे सकेगा;
(ख) यदि त्रुटि खंड (क) में निर्देशित से अन्यथा है तब यह अपीलार्थी को रजिस्ट्रीकृत डाक या इलेक्ट्रानिक मेल द्वारा सूचना देगा, रजिस्ट्रार द्वारा दी गई ऐसी सूचना की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर त्रुटि को दूर करना होगा।"</td></tr>
<tr><td><u>सिफारिश पैरा 1.5:</u>
इस संबंध में नियमावली में विशेष उपबंध शामिल किए जाएं जिनमें डाक से अपील भेजे जाने के मामलों के संबंध में अपीकर्ता को अपील ज्ञापन में त्रुटि की जानकारी देने का तरीका विनिर्दिष्ट किया जाए।</td><td>'बीमा (प्रतिभूति अपील अधिकरण से अपील करना) नियम, 2016</td></tr>
</table>

'बीमा (प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण से अपील करना) संशोधन नियम, 2021 दिनांक 15.04.2021 [2021 का सा.का.नि. 262 (अ)]' संलग्न है(अनुबंध एक)।

[वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग, (बीमा डिवीज़न-दो)
का.ज्ञा. फाइल सं. एच- 12018/1/2015- बीमा दो दिनांक 24 जून, 2021]

<u>भाग दो</u>

<u>परिशिष्ट दो</u>

<u>(प्रतिवेदन के भाग एक का पैरा 2 देखें)</u>

<u>समिति के तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय(वित्तीय सेवाएँ विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण</u>

वाणिज्यिक पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती तथा नियुक्ति) नियम, 2016 [2016 का सा.का.नि. 169] में त्रुटियाँ

समिति नोट करती है कि वाणिज्यिक पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती तथा नियुक्ति) नियमावली, 2016 में आवेदन की प्राप्ति के बाद लाइसेंस/लाइसेंस नवीकरण जारी किए जाने के लिए किसी समय-सीमा का उपबंध नहीं है। लाइसेंस जारी करने हेतु किसी समय-सीमा के नहीं होने से लाइसेंस/लाइसेंस नवीकरण जारी करने के संदर्भ में विवेकपूर्ण अधिकारों का मनमाने ढंग से प्रयोग करने की गुंजाइश बढ़ेगी और आवेदकों को भी परेशानी और असुविधा होगी। इसलिए, ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए नियमावली में विशेष समय-सीमा का उपबंध किए जाने की आवश्यकता है। समिति यह नोट करके संतुष्ट है कि उल्लेख किए जाने पर, पोत परिवहन मंत्रालय लाइसेंस जारी करने के लिए नियमावली में 15 दिनों की समय-सीमा निर्धारित करने के सुझाव को वांछित प्रभाव देने के लिए नियमावली में संशोधन करने के लिए सहमत हो गया है। समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय नियमावली में यथाशीघ्र आवश्यक संशोधन लाए और समिति को इसकी जानकारी दे ।

[तीसरा प्रतिवेदन, 17वीं लोक सभा के भाग दो का पैरा 2.4]

समिति नोट करती है कि लाइसेंस की समयावधि की समाप्ति के बाद आवेदन जमा करने पर विलंब शुल्क विहित किया जाना एक निरोधक के रूप में है और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि भर्ती और नियुक्ति सेवा द्वारा समयावधि के भीतर नवीकरण आवेदन जमा किया जाए। तथापि, मंत्रालय के उत्तर में मूल अधिनियम के अंतर्गत सटीक सांविधिक प्राधिकार के पहलू पर कुछ नहीं कहा गया है जिसमें मंत्रालय को इस प्रकार की शास्तियां अधिरोपित करने का प्राधिकार दिया गया है। तथापि, समिति इस उपबंध के उद्देश्य को देखते हुए कि यह नाविकों के कल्याण के लिए है, इस मामले पर आगे विचार नहीं करना चाहती। साथ ही, मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि यदि ऐसे मौके आते हैं तो ये उपबंध न्यायिक संवीक्षा को पूरा कर सकें।

[तीसरा प्रतिवेदन, 17वीं लोक सभा के भाग दो का पैरा 2.6]

समिति मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर से नोट करती है कि गत तीन वर्षों के दौरान केवल दो अपीलें प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा, अपीलों के निपटान में लगा समय भी तर्क संगत प्रतीत होता है। तथापि, प्रश्नगत दो अपीलों के निपटान हेतु लगे समय की तर्कसंगतता के बावजूद भी, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जहां 'तर्कसंगत समय के भीतर' शब्दों का दुरूपयोग होता है। समिति नोट करती है कि

'तर्कसंगत समय के भीतर' शब्दों का प्रयोग अस्पष्ट है और अलग-अलग लोगों द्वारा इनकी अलग-अलग व्याख्या की जा सकती है। पोत परिवहन मंत्रालय को इस प्रकार की अस्पष्ट शब्दावली के प्रयोग से बचना चाहिए। इसके अलावा, अपील के निपटान हेतु किसी समय-सीमा का नहीं होना इस उपबंध के दुरूपयोग की गुंजाइश छोड़ता है और इसे अपने विवेक तथा मनमाने ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए, अपीलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करना आवश्यक है। इस संबंध में, समिति यह नोट करके संतुष्ट है कि उल्लेख किए जाने पर, मंत्रालय आदेश पारित करने के लिए स्पष्ट और विनिर्दिष्ट समय-सीमा विहित करने के लिए सहमत है। समिति नियमावली में अस्पष्टता को दूर करने के लिए आवश्यक संशोधन लाने हेतु मंत्रालय से सिफारिश करती है।

[तीसरा प्रतिवेदन, 17वीं लोक सभा के भाग दो का पैरा 2.9]

<u>सरकार का उत्तर</u>

उपरोक्त को संदर्भित समिति की सिफारिशों के आधार पर वाणिज्यिक पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती तथा नियुक्ति) नियम, 2016 को संशोधित करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई है और उसकी एक प्रति संलग्न है **[2022 का सा.का.नि. 319 (अ)]। (अनुबंध दो)**

[पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमजी अनुभाग) का.ज्ञा.सं. एसआर-20020/3/3030-एमएल (सीएन:342969) दिनांक 14 जुलाई, 2022]

<u>परिशिष्ट- तीन</u>

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (2022-2023) की बारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति (2022-23) की बारहवीं बैठक गुरुवार, 23 मार्च, 2023 को 1500 बजे से 1530 बजे तक सभापति कमरा संख्या 209, संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

1.	श्री बालाशौरी वल्लभनेनी	<u>सभापति</u>

सदस्य

2. श्री चन्देश्वर प्रसाद
3. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
4. श्री सुरेश पुजारी
5. डॉ. अमर सिंह
6. श्री बृजेन्द्र सिंह
7. श्री सु. थिरूनवुक्करासर
8. श्री राम कृपाल यादव
9. श्री अरविंद सावंत

<u>सचिवालय</u>

1.	श्री वी. के. मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री मुरलीधरन पी	-	निदेशक
3.	श्रीमती जागृति तेवतिया	-	अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात समिति ने निम्नवत प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया:-

(i)	XX	XX	XX
(ii)	XX	XX	XX
(iii)	XX	XX	XX

(iv) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में उनतीसवां प्रतिवेदन।

3. कुछ चर्चा के पश्चात् समिति ने उपर्युक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को बिना कोई परिवर्तन किए स्वीकार किया। समिति ने सभापति को सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत भी किया।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

XX कार्यवाही सारांश का लोप किया गया भाग इस प्रतिवेदन के लिए प्रासंगिक नहीं है।

<u>परिशिष्ट-चार</u>

(प्रतिवेदन के प्राक्कथन का पैरा 6 देखें)

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।

(एक)	सिफारिशों की कुल संख्या	5
(दो)	सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है : [देखिए सिफारिश क्रम सं. 1.4, 1.5, 2.4, 2.6, और 2.9]	05
	कुल का प्रतिशत	100%
(तीन)	सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती	शून्य
	कुल का प्रतिशत	0%
(चार)	सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति ने स्वीकार नहीं किये हैं	शून्य
	कुल का प्रतिशत	0%
(पांच)	सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	शून्य
	कुल का प्रतिशत	0%